तारीख हुक्म	हुक्म
6-11-2024	पत्रावली पेशी में ली गई। बहस वकील वादी सुनी गई। अधि. प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को चक 14MWM प.न. 113/260 कि.न. 1ता25 कुल 25 बीघा द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन सूरतगढ़ आवंटित हुई। जमाबंदी संवत् 2055 में आवंटन अनुसार प्रश्नगत प.न. 113/360 सही रूप से अंकित किया गया। लेकिन संवत 2059-60 जमाबंदी तैयार करते लिपिकीय त्रुटिवश उक्त पत्थर नम्बर को 113/360 की जगह 111/360 दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया जो काबिले दुरुस्ती है बाद में लगातार जमाबंदियों में इसी की पुनरावृति होती चली गई। इसलिए चक 14MWM प.न. 111/360 को दुरुस्त कर प.न. 113/360 का वर्तमान जमाबंदी में अंकन करवाए जाने के आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ से तथ्यवार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक राजस्व/648 दिनांक 24/10/24 द्वारा अवगत करवाया गया कि चौसाला जमाबंदी संवत 2059-60 के खाता नं. 24 में सहवन से प.न. 111/360(3) दर्ज हो गया जो गलत है, मलूराम का सही प.न. 113/360(3) है तथा यही पर कब्जा काश्त है। इसलिए दुरुस्ती की जानी उचित है।

मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व वादी/प्रार्थी द्वारा याचित अनुतोष में किसी तरह का विरोधाभास नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि चक 14MWM खाता नं. 38/38 में दर्ज प.न. 111/360 की [illegible] 113/360 दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। शेष प्रविष्टियां [illegible] रहे। आदेश एडुसे रजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर [illegible] की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

[signature]

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.11.25 13:09:45 IST
Reason: SelfAttested